न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :— 11/2021

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
इन्द्रादेवी पत्नी श्री लालाराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का बास, ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा		1. भैरूसिंह पुत्र शंकरराम 2. प्रेमप्रका"ा पुत्र शंकरराम 3. गजाराम पुत्र शंकरराम 4. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का बास, ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति :— वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 5 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2369 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा बारानी द्वितीय आई हुई है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा व वादी के पति लालाराम का 1/2 हिस्सा है। जिसे वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 2369 पूर्व में मंगलाराम, शंकरराम पिसरान भूराराम के नाम से खातेदारी दर्ज थी। जिसके अनुसार मंगलाराम का 1/2 व शंकरराम का 1/2 हिस्सा था। शंकरराम द्वारा अपने 1/2 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.10.1975 को क्रेता भंवरलाल पुत्र श्री मिश्रीमल जी ओसवाल, उमरावमल पुत्र मोहनलाल ओसवाल निवासी भावी को बैचान कर दी, तथा उक्त बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटे"ान संख्या 1611 द्वारा खरीदसुदा उक्त हिस्से की भूमि उपरोक्त दोनो क्रेता के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में प्रथम बार दर्ज की गयी, तथा उक्त दोनो क्रेता द्वारा उपरोक्त खरीदसुदा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा 07.07.1981 को वादी के पति लालाराम को बैचान कर दी, तथा उक्त बैचान[illegible] आधार पर दर्ज म्यूटे"ान संख्या 1612 द्वारा खरीदसुदा उक्त हिस्से की भूमि वादी के पति लालाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में प्रथम बार दर्ज की गयी तथा आज भी चालु

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:42 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में उपरोक्त 1/2 हिस्से की भूमि वादी के पति लालाराम के नाम से दर्ज है। शंकरराम द्वारा उक्त खसरे में स्थित अपने 1/2 हिस्से की भूमि बैचान करने से उक्त खसरे में शंकरराम के हिस्से में कोई भूमि शेष नही रही। खातेदार मंगलाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे”ान संख्या 2031 द्वारा मंगलाराम के स्थान पर मंगलाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 मांगीलाल, जीयाराम पिसरान मंगलाराम, रूकमा, राधा, सुखड़ी पुत्रिया मंगलाराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में दर्ज किया गया, तथा रूकमा, राधा, सुखड़ी द्वारा अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा द्वारा अपने भाई मांगीलाल व जीयाराम के पक्ष में हकतर्क कर दिया तथा हकतर्कनामा के आधार पर दर्ज म्यूटे”ान संख्या 2032 द्वारा रूकमा, राधा, सुखड़ी के स्थान पर मांगीलाल व जीयाराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में दर्ज किया गया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 मांगीलाल का वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा व जीयाराम का 1/4 हिस्सा निहित हुआ व दर्ज हुआ। जीयाराम द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित अपने 1/4 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा 20.02.2008 द्वारा वादी को बैचान कर दिया, तथा उक्त बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटे”ान संख्या 2039 द्वारा जीयाराम से वादग्रस्त कृषि भूमि में से उसके 1/4 हिस्से की भूमि की खातेदारी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में प्रथम बार वादी के नाम से खातेदारी दर्ज की गयी। जो आज भी वादी के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज है। खातेदार शंकरराम फौत होने पर हल्का पटवारी द्वारा खातेदार शंकरराम का फौतेदगी म्यूटे”ान संख्या 2192 दर्ज करते समय सहवन से खातेदार शंकरराम की बंटसुदा भूमि खसरा संख्या 2321, 2315 व 2320 के साथ–साथ खसरा संख्या 2369 में भी खातेदार शंकरराम के वारिसानों यानि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम से भी उक्त फौतेदगी म्यूटे”ान दर्ज कर दिया है, जबकि उक्त खसरे में खातेदार शंकरराम का शंकरराम द्वारा अपना 1/2 हिस्सा बैचान करने के बाद किसी प्रकार का शंकरराम का हक व हिस्सा शेष नही रहा। इसलिए हल्का पटवारी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में शंकरराम का दर्ज फौतेदगी म्यूटे”ान संख्या 2192 प्रारम्भ से ही शून्य है तथा ऐसे शून्य म्यूटे”ान से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नही होता है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि से हटाया जाना न्यायहित में व कानूनन आव”यक है। क्योकि उनका वादग्रस्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कानूनी हक व अधिकार [illegible] वादग्रस्त कृषि भूमि में उनका नाम गलत दर्ज होने से वादी का [illegible] का खरीदसुदा 1/4 हिस्से के स्थान पर 1/6 [illegible] प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्से के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:42 IST
Reason: SelfAttested

स्थान पर भी 1/6 हिस्सा हो गया है जबकि वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी अपना 1/4 हिस्सा घोषित व दुरूस्त करवाने की अधिकारी है। इसलिए वाद बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती हेतु किया गया। वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम गलत रूप से इन्द्राज होने की जानकारी वादग्रस्त कृषि भूमि पर ऋण प्राप्ति हेतु हल्का पटवारी से चालु जमाबन्दी नियमानुसार शूल्क अदा कर दिनांक 02.12.2020 को प्राप्त कर देखने व पढने पर हुई। तब वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उनका नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से हटाये जाने बाबत् कार्यवाही किये जाने की समझाई”ा की तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा इनकार कर दिया।

अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2369 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाकर वादी को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 4 को 1/4 हिस्से का सहखातेदार का”तकार घोषित किया जावे तथा वादी के पति लालाराम का दर्ज 1/2 हिस्सा पूर्वानुसार यथावत रखा जावे। उक्त हिस्से अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती की जावे तथा तहसीलदार बिलाडा प्रतिवादी संख्या 5 को मुताबिक आदे”ा /डिक्री के अनुसार इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु आदेि”ात किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को उपस्थिति हेतु अवसर प्रदान किये गये लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 स्वयं अथवा इनकी ओर से कोई पैरोकार उपस्थित नही होने से तारीख पे”ाी 19.07.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पैरावाईज जवाब पे”ा कर वादग्रस्त भूमि में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाकर वादी को 1/4 हिस्सा का तथा प्रतिवादी संख्या 4 को 1/4 हिस्से का तथा वादी के पति लालाराम का दर्ज 1/2 हिस्सा पूर्व अनुसार रखा जाने बाबत् सहमति जाहिर की।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने से तथा प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से दुरूस्ती हेतु सहमति जाहिर किये जाने से तनकीयात की आव”यकता नही रही। वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में [illegible] का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 पे”ा किया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.10.1975 शंकरराम बहक भंवरलाल, उम[illegible] प्रदर्श 1, रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 07.07.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:42 IST
Reason: SelfAttested

1981 भंवरलाल, उमरावमल ओसवाल बहक लालूराम **प्रद”र् 2**, रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 20.02.2008 जीयाराम बहक इन्द्रादेवी (वादी) **प्रद”र् 3**, जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 खसरा संख्या 2369 व अन्य खसरा संख्या 2306, 2306/1, 2308, 2315, 2320, 2321 ग्राम भावी (जे.बी.) **प्रद”र् 4**, म्यूटे”ान संख्या 2192 ग्राम भावी (जे.बी.) **प्रद”र् 5**, जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 खसरा संख्या 2369 ग्राम भावी (जे.बी.) **प्रद”र् 6**, वादी का आधारकार्ड की प्रति **प्रद”र् 7** प्रदर्”ित करवाये।

वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर व प्रतिवादी संख्या 5 की दुरूस्ती के सम्बंध में सहमति के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 2369 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाकर वादी को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 4 को 1/4 हिस्से का सहखातेदार का”तकार घोषित किया जाना उचित है तथा वादी के पति लालाराम का दर्ज 1/2 हिस्सा पूर्वानुसार यथावत रखा जाना उचित है।

इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2369 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से हटाय जाने का आदे”ा तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है तथा वादी को उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 4 को 1/4 हिस्से का सहखातेदार का”तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के पति लालाराम का दर्ज 1/2 हिस्सा पूर्वानुसार यथावत रख जाने का आदे”ा तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे”ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल”ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:42 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
इन्द्रादेवी पत्नी श्री लालाराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का बास, ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा		1. भैरूसिंह पुत्र शंकरराम 2. प्रेमप्रका"ा पुत्र शंकरराम 3. गजाराम पुत्र शंकरराम 4. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का बास, ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 11/2021

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू मरे व हाजिर श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 5 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2369 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से हटाय जाने का आदे"ा तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है तथा वादी को उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 4 को 1/4 हिस्से का सहखातेदार का"तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के पति लालाराम का दर्ज 1/2 हिस्सा पूर्वानुसार यथावत रख जाने का आदे"ा तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:42 IST
Reason: SelfAttested

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा कर। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:42 IST
Reason: SelfAttested